



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2015/माघ 8, 1936

No.196]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2015/MAGHA 8, 1936

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 268(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा दी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह मत व्यक्त करती है कि नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के हैं, का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, यह अधिसूचित करती है कि बीजों की उक्त किस्में उक्त सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित राज्यों के लिए कृषि प्रयोजनों हेतु विक्रय किए जाने के लिए अधिसूचित किस्में होंगी और इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से बीज उत्पादन और क्वालिटी नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चावल	अराईज 6444 गोल्ड (एचआरआई-174) (आईईटी-22379)	असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, कर्नाटक और तमिलनाडु
2	चावल	आईएनएच-97288 (एचआरआई-178) (आईईटी-22381)	पंजाब, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश
3	चावल	आरसी मणिफाऊ 12	मणिपुर
4	चावल	इंदिरा एरोबिक -1(आर -1570-2649-1-	गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु

		1546-1) (आईईटी-21686)	
5	चावल	बासमती-564 (आईईटी-17269)	जम्मू एवं कश्मीर
6	चावल	6129(बीएस-129) (एचआरआई-152) (आईईटी-18815)	हरियाणा
7	चावल	बीएनकेआर-1 (धीरेन) (आईईटी- 20760)	पश्चिमी बंगाल
8	चावल	पुष्पा (आईईटी- 17509)	पश्चिमी बंगाल
9	चावल	वल्लभ बासमती -24 (आईईटी- 20827)(एमएयूबी-171)	उत्तर प्रदेश, हरियाणा और जम्मू एवं कश्मीर
10	गेहूं	नीलगिरी खापली (एचडब्ल्यू-1098)	गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु
11	गेहूं	पूसा किरण (एचएस-542)	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
12	गेहूं	आरएसपी 561	जम्मू एवं कश्मीर
13	मक्का	सीओएच(एम) 10 (सीएमएच 08-433)	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
14	मक्का	एचएम-13 (एचकेएच-317)	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
15	बाजरा	एनबीएच 5767	महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और तमिलनाडु
16	सोयाबीन	एनआरसी 86(अहिल्या-6)	मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र
17	मूंगफली	गुजरात जूनागढ़ मूंगफली- 18 (जेएसपी - 49)	ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड और मणिपुर
18	मूंगफली	राज मूंगफली - 2 (आरजी 578)	ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, और मणिपुर
19	ज्वार	एसपीएच-1635	महाराष्ट्र
20	ज्वार	फुले सुचित्रा (आरएसबी - 1098)	महाराष्ट्र
21	काबुली चना	विदिशा (बीजी 1084) डब्ल्यूबीजी 29	पश्चिमी बंगाल
22	काबुली चना	वल्लभ काबुली चना -1(डब्ल्यूसीजीके - 2000-16)	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर
23	काबुली चना	राज विजय चना 202 (आरबीजी 202)	मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान
24	उड़द	वल्लभ उड़द - 1	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर
25	तिल	एसएमएआरएके (ओएससी 560)	ओडिशा
26	तिल	सुभ्रा (ओएससी 207)	ओडिशा
27	अलसी	प्रताप अलसी -2	राजस्थान,
28	गोभी सरसों	आरएसपीएन 25	जम्मू एवं कश्मीर
29	मार्वल घास	फुले मार्वल 06-40	महाराष्ट्र,

			और उत्तर प्रदेश
31	चावल	आईआर - 64 डर्ट I (आईआर 87707-44-5-बी-बी-बी) (आईईटी 22836)	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड
32	मक्का	एनएमएच - 713	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र
33	कुसुम	एनएआरआई - 57	महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी बंगाल
34	जई	जेओ - 03-93 (जवाहर ओट 03-93)	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश
35	जई	ओएस - 377	उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश
36	रोटी गेहूं	डीबीडब्ल्यू 110	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
37	रोटी गेहूं	डीबीडब्ल्यू 107	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
38	गेहूं	पूसा वत्सला (एचडी 3118)	उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा
39	गेहूं (दुरूम)	पूसा अनमोल (एचआई 8737)	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश
40	जौ	डीडब्ल्यूआरबी 101	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान
41	कपास	निर्मल - 18 (एनएसीएच - 18)	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु
42	सोयाबीन	केडीएस 344 (फुले अग्रणी)	महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना
43	गन्ना	सीओपी 2061	बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और असम
44	मूंग	सीओ 8	तमिलनाडु
45	लूसन	सीओ 2	तमिलनाडु
46	गोभी	सबोर अग्रिम (एसबीईसीएफ - 01/09)	बिहार
47	धनिया	प्रताप राज धनिया - 1 (आरकेडी - 18)	राजस्थान
48	कद्दू	पंजाब सम्राट (डब्ल्यूआईआर - 4446)	पंजाब
49	उद्यान मटर	पंजाब - 89	पंजाब
50	खीरा	पंजाब नवीन	पंजाब
51	हल्दी	पंजाब हल्दी - 1	पंजाब
52	हल्दी	पंजाब हल्दी - 2	पंजाब

54	मिर्च (संकर)	एनसीएच - 587	पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार
55	करेला (संकर)	सावित्री (एनबीजीएच - 167)	पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार
56	बैंगन	पूसा संकर - 20 (डीबीएचएल - 20)	पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार
57	टमाटर (संकर)	भाग्य (एनटीएच - 301)	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली
58	भिंडी संकर	एनबीएच - 180	मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुच्चेरी
59	लौकी (संकर)	अनुराग	पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड
60	लहसुन	एग्रीफाउंड पार्वती - 2 (जी 408)	जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश
61	लहसुन	एग्रीफाउंड पार्वती (जी 313)	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड
62	लहसुन	यमुना सफेद - 8 (जी - 384)	जम्मू, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान
63	नोल खोल	जी - 40 (एसजेकेके - 01)	जम्मू एवं कश्मीर
64	चावल	डीआरआर धान 41, (आईईटी 22729) (आरपी 5311-पीआर 26703-3बी-पीजे7)	बिहार और कर्नाटक
65	चावल	सीओ 51	तमिलनाडु
66	चावल	बिरसा विकास धान- 111 (पीवाई-84) (आईईटी 19848)	झारखंड
67	चावल	सांबा सब-1 (आईईटी 21248)	उत्तर प्रदेश
68	चावल	बिरसा विकास धान- 203 (आईईटी 19896)	झारखंड
69	बासमती चावल	वल्लभ बासमती 23 (एमएयूबी-57) (आईईटी 19491)	उत्तर प्रदेश
70	चावल	सबौर श्री (आरएयू 724-48*33) (आईईटी 18878)	बिहार

[फा.सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE**(Department of Agriculture and Co-operation)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 268 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, is of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the Table below of

varieties of seeds shall be the notified varieties to be sold for purposes of agriculture for the States mentioned in column (4) of the said Table and shall be the notified varieties for the whole of India for the purposes of the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

TABLE

Serial number	Kind	Variety	States
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rice	Arize 6444 Gold (HRI-174) (IET-22379)	Assam, Chhattisgarh, Odisha, Uttar Pradesh, Bihar, Meghalaya, Karnataka and Tamil Nadu.
2.	Rice	INH97288 (HRI-178) (IET-22381)	Punjab, Chhattisgarh and Uttar Pradesh.
3.	Rice	RC Maniphou 12	Manipur.
4.	Rice	Indira Aerobic-1 (R1570-2649-1-1546-1) (IET 21686)	Gujarat, Chhattisgarh and Tamil Nadu.
5.	Rice	Basmati 564 (IET 17269)	Jammu and Kashmir.
6.	Rice	6129 (BS-129) (HRI 152) (IET 18815)	Haryana.
7.	Rice	BNKR-1 (Dhiren) (IET 20760)	West Bengal.
8.	Rice	Pushpa (IET 17509)	West Bengal.
9.	Rice	Vallabh Basmati-24 (IET 20827) (MAUB-171)	Uttar Pradesh, Haryana and Jammu and Kashmir.
10.	Wheat	Nilgiri Khapli (HW 1098)	Gujarat, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu.
11.	Wheat	Pusa Kiran (HS-542)	Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu and Kashmir, <u>Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura.</u>
12.	Wheat	RSP 561	Jammu and Kashmir.
13.	Maize	CoH (M) 10 (CMH 08-433)	Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.
14.	Maize	HM-13 (HKH-317)	Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
15.	Pearl Millet	NBH 5767	Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
16.	Soybean	NRC 86 (Ahilya 6)	Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Uttar Pradesh and Maharashtra.
17.	Groundnut	Gujarat Junagadh Groundnut -18 (JSP-49)	Odisha, West Bengal, Jharkhand and Manipur.
18.	Groundnut	Raj Mungfali -2 (RG-578)	Odisha, West Bengal and Manipur.
19.	Sorghum	SPH 1635	Maharashtra.
20.	Sorghum	Phule Suchitra (RSV 1098)	Maharashtra.
21.	Chickpea	Bidisha (BG 1084) (WBG 29)	West Bengal.
22.	Chickpea	Vallabh Kabuli Channa-1 (WCGK-2000-16)	Punjab, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Delhi and Jammu and Kashmir.

		(RVG 202)	Pradesh and Rajasthan.
24.	Urd	Vallabh Urd-1	Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Jammu and Kashmir.
25.	Sesame	SMARAK (OSC 560)	Odisha.
26.	Sesame	SUBHRA (OSC 207)	Odisha.
27.	Linseed	Pratap Alsi-2	Rajasthan.
28.	Gobhi Sarson	RSPN 25	Jammu and Kashmir.
29.	Marvel grass	Phule Marvel 06-40	Maharashtra.
30.	Maize Hybrid	PMH 6 (JH 31292)	Bihar, West Bengal, Jharkhand, Odisha and Uttar Pradesh.
31.	Rice	IR-64 Drt I (IR87707-44-5-B-B-B) (IET 22836)	Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand.
32.	Maize	NMH-713	Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra.
33.	Safflower	NARI-57	Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Jharkhand and West Bengal.
34.	Oat	JO-03-93 (Jawahar Oat 03-93)	Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Uttar Pradesh.
35.	Oat	OS-377	Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Chhattisgarh and Madhya Pradesh
36.	Bread Wheat	DBW 110	Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh.
37.	Bread Wheat	DBW 107	Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura.
38.	Wheat	PUSA VATSALA (HD 3118)	Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura.
39.	Durum Wheat	Pusa Anmol (HI 8737)	Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Rajasthan and Uttar Pradesh.
40.	Barley	DWRB 101	Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan.
41.	Cotton	Nirmal -18 (NACH-18)	Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.
42.	Soybean	KDS 344 (Phule Agrani)	Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Telangana.
43.	Sugarcane	CoP 2061	Bihar, Uttar Pradesh, West Bengal and Assam.
44.	Green gram	CO 8	Tamil Nadu.
45.	Lucerne	CO 2	Tamil Nadu.
46.	Cauliflower	Sabour Agrim (SBECF-01/09)	Bihar
47.	Coriander	Pratap Raj Dhanial-1 (RKD-18)	Rajasthan
48.	Pumpkin	Punjab Samrat (WIR-4446)	Punjab
49.	Garden Pea	Punjab-89	Punjab
50.	Cucumber	Punjab Naveen	Punjab
51.	Turmeric	Punjab Haldi-1	Punjab
52.	Turmeric	Punjab Haldi-2	Punjab
53.	Coriander	Punjab Sugandh	Punjab
54.	Chilli (hybrid)	NCH-587	Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar

55.	Bitter gourd (Hybrid)	Savitri (NBGH-167)	Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Bihar
56.	Brinjal	Pusa Hybrid-20 (DBHL-20)	Punjab, Delhi, Uttar Pradesh and Bihar.
57.	Tomato Hybrid.	Bhagya (NTH-301)	Rajasthan, Gujarat, Haryana and Delhi.
58.	Okra Hybrid	NBH-180	Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa, Chhattisgarh, Orissa, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and Puducherry.
59.	Bottle gourd Hybrid	Anurag	Punjab, Uttar Pradesh, Bihar and Jharkhand.
60.	Garlic	Agrifound Parvati-2 (G-408)	Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh
61.	Garlic	Agrifound Parvati (G-313)	Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand.
62.	Garlic	Yamuna Safed-8 (G-384)	Jammu, Punjab, Delhi, Haryana and Rajasthan.
63.	Knol khol	G-40 (SJJK-01)	Jammu and Kashmir
64.	Rice	DRR Dhan 41 (IET 22729) (RP 5311-PR 26703-3B-PJ7)	Bihar and Karnataka
65.	Rice	CO 51	Tamil Nadu
66.	Rice	Birsa Vikas Dhan-111 (PY-84) (IET 19848)	Jharkhand
67.	Rice	Samba Sub-1 (IET 21248)	Uttar Pradesh
68.	Rice	Birsa Vikas Dhan-203 (IET 19896)	Jharkhand
69.	Basmati Rice	Vallabh Basmati 23 (MAUB-57) (IET-19491)	Uttar Pradesh
70.	Rice	Sabour Shree (RAU 724-48-33) (IET 18878)	Bihar

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 269(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात, भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2125 (अ) तारीख, 10 सितंबर, 2012 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 2, 7 और 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	प्रकार	किस्म	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
"2	चावल संकर	अराईज तेज (एचआरआई 169) (आईईटी 21411)	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड

7	मक्का संकर	एनएमएच -731	गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र
24	चावल संकर	27पी31 (आईईटी 21415) (27पी31)	झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा"

[फा.सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना का.आ. 2125 (अ) तदर्थ तारीख 10 सितंबर, 2012 और बाद में संशोधित तदर्थ सं. का.आ. 2816(अ) तारीख 19 सितंबर, 2013 और का.आ. 1920 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 269(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number S.O. 2125(E), dated the 10th September, 2012, namely:-

In the Table to the said notification, for serial numbers 2,7 and 24 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"2.	Rice Hybrid	Arize Tej (HRI 169) (IET 21411)	Bihar, Chhattisgarh, Gujarat, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Jharkhand.
7.	Maize Hybrid	NMH - 731	Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Maharashtra.
24.	Rice Hybrid	27P31 (IET 21415) (27P31)	Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha."

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2125(E), dated the 10th September, 2012 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 2816(E), dated the 19th September, 2013 and S.O. 1920(E), dated the 30th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 270(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि

मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2817 (अ) तारीख 19 सितंबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
"51	सरसों	गिरीराज (डीआरएमआरआईजे 31)	राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर और पंजाब"

[फा.सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना का.आ. 2817(अ) तारीख 19 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015.

S.O. 270(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013, namely:—

In the Table to the said notification, for serial number 51 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"51.	Mustard	Giriraj (DRMRIJ 31)	Rajasthan, Haryana, Delhi, Jammu & Kashmir and Punjab."

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013,

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 271(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात, भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1919 (अ) तारीख 30 जुलाई, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
"48	मक्का संकर	केएमएच - 25के45 (बंपर)	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़

[फा.सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना का.आ. 1919(अ) तारीख 30 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 271(E).— In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number S.O. 1919(E), dated the 30th July, 2014, namely:-

In the Table to the said notification, for serial number 48 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"48.	Maize Hybrid	KMH-25K45 (Bumper)	Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh."

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification S.O. 1919(E), dated the 30th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 272(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात, भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 2817 (अ) तारीख 19 सितंबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
"40	मक्का संकर	एनएमएच - 1242	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश"

[फा. सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना का.आ. 2817(अ) तारीख 19 सितंबर, 2013 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 272(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013, namely:—

In the Table to the said notification, for serial number 40 and entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"40.	Maize Hybrid	NMH - 1242	Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, Karnataka, Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Chhattisgarh and Madhya Pradesh."

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification S.O. 2817(E), dated the 19th September, 2013

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2015

का.आ. 273(अ).— केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात, भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग की अधिसूचना का.आ.सं. 1146 (अ) तारीख, 24 अप्रैल, 2014 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में क्रम सं. 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	प्रकार	किस्म	राज्य/क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
"26	चावल संकर	पीएसी - 801	उत्तर प्रदेश और झारखंड

[फा.सं. 3-40/2014-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना का.आ. 1146 (अ) तारीख 24 अप्रैल, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2015

S.O. 273(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government after consultation with the Central Seed Committee, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Co-operation number S.O. 1146(E), dated the 24th April, 2014, namely:-

In the Table to the said notification, for serial number 26 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"26.	Rice Hybrid	PAC 801	Uttar Pradesh and Jharkhand."

[No. 3-40/2014-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification S.O. 1146(E), dated the 24th April, 2014